खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

विविध वाद संख्या–01 / 2026

जिला–शेखपुरा

एरिना फूड एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, शेखपुरा एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

25.05.2026 1. वर्तमान कार्यवाही माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No.-6873/2025, CWJC No.-14608/2025 एवं MJC No.-2212/2025 में दिनांक–19.03.2026 को पारित आदेश के आलोक में मेसर्स एरिना फूड एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में प्रारंभ की गई।

2. मामला संक्षिप्त में यह है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत मौजा–मटोखर एवं सुरदासपुर स्थित पत्थर भूखंड ब्लॉक सं0–4 की बंदोबस्ती दिनांक–30.03.2017 से पाँच वर्षों के लिये मेसर्स एरिना फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 के पक्ष में ₹29,00,00,000 / – (उनतीस करोड़) में स्वीकृत की गयी।

3. पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा से उत्पादन प्रेषण के संबंध में समर्पित मासिक विवरणी के अनुसार पट्टावधि में कुल 48,10,374.30 MT उत्पादन एवं 46,17,916.60 MT प्रेषण किया गया।

4. पट्टेधारी द्वारा पत्थर खनन पट्टा से प्रेषित खनिज की मात्रा का स्वामिस्व, नीलामी राशि से अधिक होने के कारण खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–22 (3) के तहत पत्रांक–489, दिनांक–02.05.2022 एवं पत्रांक–448, दिनांक–16.06.2022, पत्रांक–722, दिनांक–04.07.2022, पत्रांक–731, दिनांक–06.07.2022, पत्रांक–1004, दिनांक–24.08.2022, पत्रांक–1007, दिनांक–24.08.2022 एवं पत्रांक–1069, दिनांक–01.09.2022 से अतिरिक्त स्वामिस्व के लिए ₹6,25,34,581 / –, देय आयकर एवं जिला खनिज निधि (DMF) का माँग पत्र सूद समेत निर्गत किया गया।

5. पट्टेधारी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं करने के कारण राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद संख्या–386 / 2022–23 दायर किया गया।

6. पट्टेधारी द्वारा अतिरिक्त स्वामिस्व की माँग को समाहर्त्ता, शेखपुरा के समक्ष अपील संख्या–96 / 22 द्वारा चुनौती दी गयी। समाहर्त्ता, शेखपुरा द्वारा अपील वाद में दिनांक–28.03.2023 को पारित आदेश में एकरारनामा (पट्टा संविदा) के भाग–VII की कंडिका–36, बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के नियम–52 (4) एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–22 (3) के आलोक में अतिरिक्त स्वामिस्व की माँग को सही पाया गया। इसके अतिरिक्त एकरारनामा के भाग–VI की कंडिका–4 के आलोक में बकाया राशि पर ब्याज की माँग को भी सही पाया गया।

7. आवेदक द्वारा भण्डारण अनुज्ञप्ति से खनिज निष्कासन की अनुमति के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-7134/2023 दायर की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्ति स्थल पर खनिज उपलब्ध नहीं होने एवं अतिरिक्त स्वामिस्व के संबंध में बकाया रहने के आलोक में याचिकाकर्त्ता को सभी मामलों के संबंध में प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के समक्ष ही अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिनांक–22.08.2023 को पारित आदेश से दिया गया।

8. इसी बीच याचिकाकर्त्ता द्वारा अतिरिक्त स्वामिस्व एवं पट्टावधि में उत्खनित शेष खनिज, जिसका प्रेषण नहीं किया जा सका है, के संबंध में पुनः CWJC No.-13532/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–12.10.2023 को पारित आदेश से माननीय न्यायालय ने अतिरिक्त स्वामिस्व की राशि छः समान किस्तों में जमा करने एवं समाहर्त्ता, शेखपुरा के आदेश के संबंध में खान आयुक्त के समक्ष ही पक्ष रखने का निदेश दिया।

9. माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No.-7134/2023 एवं CWJC No.-13532/2023 में पारित आदेशों के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा विविध वाद संख्या–08 / 2023 एवं पुनरीक्षण वाद संख्या–02 / 2023 में दिनांक–23.11.2023 को पारित आदेश में अतिरिक्त स्वामिस्व की माँग को सही ठहराया गया तथा खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा के अनुशंसा के आलोक में बकाया राशि के छः किस्त में भुगतान एवं उसी अनुरूप भण्डारित खनिज के उठाव की अनुमति दी गई।

10. दिनांक–23.11.2023 के आदेश के अनुपालन में पट्टेधारी द्वारा दो किस्त का भुगतान किया गया, जिसके आलोक में दो माह के लिए खनिज उठाव की अनुमति दी गई। तृतीय एवं अन्य किस्त का भुगतान नहीं किये जाने के कारण जिला खनन

कार्यालय, शेखपुरा के पत्रांक–585, दिनांक–29.06.2024 द्वारा शेष खनिज को जब्त करते हुए उठाव की अनुमति वापस ले ली गई।

11. पट्टेधारी के खनिज उठाव की अवधि विस्तार से संबंधित अभ्यावेदन दिनांक–23.09.2024 एवं दिनांक–28.02.2025 को क्रमशः विभागीय पत्रांक–4526, दिनांक–24.10.2024 एवं पत्रांक–2005, दिनांक–02.04.2025 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

12. समाहर्त्ता, शेखपुरा द्वारा भण्डारित खनिज की नीलामी के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया गया।

13. मेसर्स एरिना फूड एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा खनिज निलामी हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध, बकाया राशि किस्त के रूप में जमा करने एवं भण्डारित खनिज के उठाव की अनुमति हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-6873/2025 दायर की गई, जिसमें दिनांक–05.05.2025 के आदेश से शेष खनिज की निलामी हेतु प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। साथ ही बकाया राशि को पाँच समान मासिक किस्त में जमा करने एवं खनिज उठाव की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया।

14. दिनांक–05.05.2026 के आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में LPA No.-676/2025 दायर किया गया। इसी बीच याचिकाकर्त्ता द्वारा CWJC के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण MJC No.-2212/2025 दायर की गई।

15. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA No.-676/2025 में दिनांक–11.07.2025 के आदेश से CWJC No.-6873/2025 में दिनांक–05.05.2025 के आदेश को set aside करते हुए मामले को एकल पीठ को fresh judgment पारित करने हेतु वापस किया गया। इसी दौरान पट्टेधारी ने अतिरिक्त स्वामिस्व की देयता को चुनौती देते हुए एक अन्य याचिका CWJC No.-14608/2025 दायर की गई।

16. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-6873/2025, CWJC No.-14608/2025 एवं MJC No.-2212/2025 में दिनांक–19.03.2026 को पारित संयुक्त आदेश से याचिकाकर्त्ता की अतिरिक्त स्वामिस्व के संबंध में देयता को सही ठहराया गया। साथ ही खान आयुक्त को याचिकाकर्त्ता को सुनकर बकाया एवं मासिक किस्त गणना करते हुए मासिक भुगतान किए जाने वाली राशि एवं खनिज उठाव की अनुमति के संबंध में सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

17. खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा पत्रांक–672, दिनांक–21.05.2026 से पट्टेधारी के विरूद्ध निम्न अद्यतन बकाया राशि प्रतिवेदित किया गया है (परिशिष्ट 'क') :–

कुल बकाया नीलामपत्रित राशि सूद सहित	₹7,64,71,256.86/–
कुल बकाया आयकर की राशि सूद सहित	₹14,71,494/–
कुल बकाया DMF की राशि सूद सहित	₹5,78,240/–
कुल बकाया राशि –	**₹7,85,20,991/–**

इसके अतिरिक्त पट्टा क्षेत्र में शेष भण्डारित 3207628.14 घनफीट के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व एवं अन्य राशि के संबंध में निम्न प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

अतिरिक्त रॉयल्टी राशि	₹1,36,16,382/–
अतिरिक्त रॉयल्टी पर आयकर की राशि	₹2,80,830/–
अतिरिक्त रॉयल्टी पर DMF की राशि	₹2,72,650/–
कुल –	**₹1,41,69,862/–**

18. पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक–23.11.2023 द्वारा पट्टेधारी को 6 माह में सूद समेत किस्तवार बकाया राशि के भुगतान एवं उसी अनुरूप भण्डारित खनिज के छः माह में उठाव की अनुमति दी गई थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा दो माह तक खनिज उठाव किया गया है। अतएव शेष खनिज के उठाव के लिए पूर्व में दी गई अनुमति में से शेष चार माह का समय प्रदान किया जाता है। पट्टेधारी द्वारा बकाया राशि (सूद समेत) का भुगतान कर खनिज उठाव निम्न प्रकार किया जाएगा :–

कुल बकाया राशि					
अद्यतन सूद सहित नीलाम पत्रित राशि	खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित खनिज की मात्रा का अतिरिक्त रॉयल्टी	कुल राशि	चार समान किस्त की राशि (रूपये में)		खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित शेष खनिज 3207628.14 CFT का चार समान भाग में मात्रा (CFT में)
7,64,71,257/–	1,36,16,382/–	9,00,87,639/–	प्रथम	2,25,21,909.75	8,01,907.035
			द्वितीय	2,25,21,909.75	8,01,907.035
			तृतीय	2,25,21,909.75	8,01,907.035
			चतुर्थ	2,25,21,909.75	8,01,907.035

पट्टेधारी द्वारा उपरोक्त किस्त के साथ किस्त के अनुपात में ही रॉयल्टी पर वैधानिक देयता यथा आयकर, DMF आदि का भुगतान भी देय सूद समेत किया जाएगा। बकाया राशि के किस्तवार भुगतान के दौरान जमा होने वाले सूद (accrued interest) की राशि का भुगतान चतुर्थ किस्त के साथ किया जाएगा।

19. उपरोक्त के अनुसार किस्त का भुगतान कर पट्टा क्षेत्र में भण्डारित खनिज के उठाव के दौरान निम्न का अनुपालन समाहर्त्ता/खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा कराया जाएगा :–

(1) CCTV का अधिष्ठापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा एवं 24x7 CCTV निगरानी में ही प्रेषण किया जाएगा।

(2) पट्टा क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन/क्रसिंग/ब्लास्टिंग आदि का कार्य किसी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

(3) खनिज का प्रेषण वैध ई–चालान के साथ ही किया जाएगा।

(4) किस्त भुगतान में चूक की स्थिति में उठाव की अनुमति वापस लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(5) खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा प्रेषण का नियमित अनुश्रवण/जाँच किया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
खान आयुक्त, बिहार

ह0/–
खान आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक :– 3425 /एम0, दिनांकः– 26/05/26

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, शेखपुरा/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा/एरिना फूड एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, ग्राम+पो0–नीमी, थाना–शेखोपुर, जिला–शेखपुरा, ईमेल–arenafoodnagro@gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/26
विधि पदाधिकारी

परिशिष्ट–क

➢ नीलामपत्रित राशि पर ब्याज की गणना :–

क्रम	अवधि	दिन	आरंभिक नीलामपत्रित राशि	ब्याज (12%)	ब्याज सहित कुल राशि (4+5)	समायोजित राशि	शेष नीलामपत्रित राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12.09.2022 से 28.11.2023	442	₹8,67,12,890.00	₹1,26,00,689.55	₹9,93,13,579.55	₹1,58,88,696.31	₹8,34,24,883.24
2	28.11.2023 से 20.02.2024	84	₹8,34,24,883.24	₹23,03,898.15	₹8,57,28,781.39	₹1,58,88,696.31	₹6,98,40,085.08
3	20.02.2024 से 30.05.2025	465	₹6,98,40,085.08	₹1,06,76,922.60	₹8,05,17,007.68	₹1,20,58,240.01	₹6,84,58,767.67
4	30.05.2025 से 21.05.2026	356	₹6,84,58,767.67	₹80,12,489.19	₹7,64,71,256.86	-	₹7,64,71,256.86

➢ कुल देय राशि :–

विवरण	राशि
कुल बकाया नीलामपत्रित राशि सूद सहित	7,64,71,256.86/-
कुल बकाया आयकर की राशि सूद सहित	14,71,494/-
कुल बकाया DMF की राशि सूद सहित	5,78,240 /-
कुल बकाया राशि –	**7,85,20,991/-**

21. खनन क्षेत्र में अवस्थित भंडारित खनिज की मात्रा 4811442.20 घनफीट में से विभाग द्वारा खनिज उठाव हेतु उपलब्ध कराये गये दो माह का कैपिंग 1603814.06 घनफीट (801907.03 घनफीट X2) के उठाव के पश्चात 3207628.14 घनफीट खनिज शेष बचा है :–

- जिसका अतिरिक्त रॉयल्टी राशि – 1,36,16,382 /–रूपया।
- अतिरिक्त रॉयल्टी पर आयकर की राशि – 2,80,830 /–रूपया।
- अतिरिक्त रॉयल्टी पर DMF की राशि – 2,72,650 /–रूपया।

Neha Kumari 21/05/26

खनिज विकास पदाधिकारी,
शेखपुरा।